MOST IMMEDIATE
ASSEMBLY QUESTION

GOVERNMENT OF N.C.T. OF DELHI
REVENUE DEPARTMENT: PARLIAMENT CELL
5, SHAM NATH MARG, DELHI-110054

No. F.11/1688/DC/PC/VS/2021/607 **Dated:** 02-01-2022

To

The Dy. Secretary (Question Cell)
Delhi Legislative Secretariat,
Old Secretariat Delhi-110054

Sub: Reply to Vidhan Sabha Unstarred Question No. 57 fixed for 03.01.2022 raised by Hon'ble MLA Sh. Mohan Singh Bisht.

Sir,

Please find enclosed herewith the 100 copies of the reply in respect of above said question for further necessary action at you end.

This issues with the prior approval of Competent Authority.

Yours faithfully

Encl.: As above.

(ANIL SIROHI)
SUB DIVISIONAL MAGISTRATE-III (HQ)

ANIL SIROHI
SDM (HQ)
Revenue Department
Govt. of NCT of Delhi
5, Sham Nath Marg, Delhi

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कार्यालय मंडलायुक्त (राजस्व)
संसदीय शाखा,
5, शाम नाथ मार्ग, दिल्ली।

अतारांकित प्रश्न संख्या : 57 राजस्व विभाग

दिनांक 03.01.2022

प्रश्नकर्ता का नाम : माननीय विधायक श्री मोहन सिंह बिष्ट जी

क्या माननीय राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

क्र सं.	प्रश्न	उत्तर
क)	दिल्ली के अंतर्गत कुल कितने शहरीकृत और ग्रामीण गांव है;	दिल्ली में शहरीकृत 309 तथा 49 ग्रामीण गॉव की संख्या है।
ख)	क्या यह भी सत्य है कि ग्रामीणों द्वारा आए दिन खसरा और खतोनियों में अपने नाम अंकित कराने के लिए राजस्व विभाग के कार्यालयों में चक्कर लगाने पड़ रहे हैं;	दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के सेक्शन–507 की अधिसूचना के उपरान्त दिल्ली राजस्व अधिनियम 1954 और दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम 1954 लागू नहीं होता है। सभी म्यूटेशन्स दिल्ली राजस्व अधिनियम 1954 के नियमानुसार किए जा सकते हैं क्योंकि दिल्ली राजस्व अधिनियम 1954 के प्रावधान शहरीकृत गॉवों की भूमि पर लागू नहीं होते इसलिए शहरीकृत गॉवों की भूमि की म्यूटेशन नहीं हो पा रहे हैं। ग्रामीण गॉवों में, यदि दस्तावेज पूरे हों, तो ग्रामीणों के खसरा और खतौनियों में अपने नाम अंकित कराने के कार्य सभी जिलों में जारी हैं।
ग)	यदि नहीं तो अपनी पैतृक जमीन को अपने नाम पर दर्ज न करने के क्या कारण है, और	
घ)	करावल नगर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अधिकतर गांव वालों की इस समस्या का समाधान न कराने के क्या कारण हैं और कब तक इस समस्या का समाधान हो जाएगा?	दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के सेक्शन–507 की अधिसूचना के उपरान्त दिल्ली राजस्व अधिनियम 1954 और दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम 1954 लागू नहीं होता है। सभी म्यूटेशन्स दिल्ली राजस्व अधिनियम 1954 के नियमानुसार किए जा सकते हैं। क्योंकि दिल्ली राजस्व अधिनियम 1954 के प्रावधान शहरीकृत गॉव की भूमि पर लागू नहीं होते हैं, इसलिए शहरीकृत गॉव की म्यूटेशन नहीं हो पा रही है शहरीकृत होने के कारण न केवल करावल नगर विधान सभा क्षेत्र के शहरीकृत गॉव बल्कि पूरी दिल्ली के गॉवो की म्यूटेशन नही हो सकती है।

इसकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त कर ली गई है।

01/01/22

(अनिल सिरोही)
उपमण्डलीय दण्डाधिकारी–3 (मु०)

ANIL SIROHI
SDM (HQ)
Revenue Department
Govt. of NCT of Delhi
5, Sham Nath Marg, Delhi-54